



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 203-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 2017 (KARTIKA 30, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 नवम्बर, 2017

संख्या 128/एसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (बारहवाँ संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में,—

(i) नियम 43 में, उपनियम (2) के बाद, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्:—

“व्याख्या.— नियम 42 और इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि छूटप्राप्त प्रदायों के संकलित मूल्य में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में संख्या सा.का.नि. 1338(क), तिथि 27 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, अधिसूचना संख्या 42/2017—एकीकृत कर, तिथि 27 अक्टूबर, 2017 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के प्रदाय के मूल्य को अपवर्जित किया जाएगा।”।

3. उक्त नियमों में, नियम 54 में, उपनियम (2) में, “दस्तावेज जारी करेगा” शब्दों के स्थान पर, “दस्तावेज जारी कर सकेगा” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, नियम 97 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“97क. मैनुअल रूप से फाइल किया जाना और प्रक्रमण— इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसमें विहित किसी कार्यवाही या प्रक्रिया के संबंध में, सामान्य पोर्टल पर किसी आवेदन, सूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए जाने, या किसी सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाने के प्रति कोई निर्देश, उक्त आवेदन, सूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के मैनुअल रूप से फाइल किए जाने या उक्त सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के ऐसे प्ररूप में, जो इन नियमों से संलग्न है, जारी किए जाने सहित उस कार्यवाही या प्रक्रिया के संबंध में होगा।”।

5. उक्त नियमों में, नियम 107 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“107क. मैनुअल रूप से फाइल किया जाना और प्रक्रमण— इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसमें विहित किसी कार्यवाही या प्रक्रिया के संबंध में, सामान्य पोर्टल पर किसी आवेदन, सूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए जाने, या किसी सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाने के प्रति कोई निर्देश, उक्त आवेदन, सूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के मैनुअल रूप से फाइल किए जाने या उक्त नोटिस, आदेश या प्रमाणपत्र के ऐसे प्ररूप में, जो इन नियमों से संलग्न है, जारी किए जाने सहित उस कार्यवाही या प्रक्रिया के संबंध में होगा।”।

6. उक्त नियमों में, "प्ररूप जी.एस.टी आर एफ डी 01" के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"प्ररूप जी.सी.टी. आर.एफ.डी. 01क

[देखिए नियम 89(1) और 97क]

प्रतिदाय के लिए आवेदन (मैनुअल रूप से)

(नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति, कर की कटौती करने वाले व्यक्ति, कर संग्रहण करने वाले व्यक्ति और अन्य रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति को लागू)

1.	जी.एस.टी.आई.एन. / अस्थाई पहचान पत्र							
2.	विधिक नाम							
3.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो							
4.	पता							
5.	कर की अवधि (यदि लागू हो)	<वर्ष><मास>		से			<वर्ष><मास> तक	
6.	दावा की गई प्रतिदाय की राशि (रु.)	अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
		केंद्रीय कर						
		राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						
		एकीकृत कर						
		उपकर						
	योग							
7.	दावा किए गए प्रतिदाय के आधार (सामने में से चुनें)	(क)	इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में आधिक्य अधिशेष					
		(ख)	सेवाओं का निर्यात - कर के भुगतान के साथ					
		(ग)	माल/सेवाओं का निर्यात - कर के भुगतान के बिना (संचित आई.टी.सी.)					
		(घ)	विपरीत कर सरंचना के प्रति शोध संचित आई.टी.सी. [धारा 54(3) के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन]					
		(ङ)	विशेष आर्थिक जोन इकाइयों/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ताओं को किए गए प्रदाय के कारण (कर के भुगतान के साथ)					
		(च)	विशेष आर्थिक जोन इकाइयों/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ताओं को किए गए प्रदाय के कारण (कर के भुगतान के बगैर)					
		(छ)	समझा गया निर्यात का प्राप्तिकर्ता					

घोषणा [धारा 54(3) का दूसरा परंतुक]

मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि निर्यात किया गया माल किसी निर्यात शुल्क के अध्यक्षीन नहीं है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस माल या सेवा या दोनों पर कोई भी प्रतिदायगी का उपभोग नहीं किया है और मैंने उस प्रदाय पर भुगतान किए गये एकीकृत कर के ऐसे प्रतिदाय का कोई दावा नहीं किया है जिसके संबंध में प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है।

हस्ताक्षर

नाम —

पदनाम/हैसियत

घोषणा [धारा 54(3)(ii)]

मैं, इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में दावा किए गए आई.टी.सी. प्रतिदाय में शून्य दर वाली या पूर्णतया छूटप्राप्त प्रतिदायों के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाओं पर उपभोग किया गया आई.टी.सी. सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर

नाम—

पदनाम/ हैसियत

घोषणा [धारा 89(2)(च)]

मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता ने आवेदक के द्वारा भुगतान कर के ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया है, जो इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आता है।

हस्ताक्षर

नाम—

पदनाम/ हैसियत

स्वतः घोषणा [धारा 89(2)(छ)]

मैं/हम _____ (आवेदक), जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी -----सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/करती हूँ/करते हैं और प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि ----- से----- तक कि अवाधि के लिए कर, ब्याज या अन्य किसी राशि से संबंधित -----रूपये की राशि के प्रतिदाय के संबंध में प्रतिदाय आवेदन में जिसका दावा किया गया है, उसके बारे में ऐसे कर और ब्याज के भार को किसी अन्य व्यक्ति पर पारित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर

नाम—

पदनाम/ हैसियत

(यह घोषणा उन आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की जानी अपेक्षित नहीं है, जिन्होंने धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है।)

8. सत्यापन

मैं/हम <करदाता का नाम>, इसके द्वारा प्रतिज्ञान करता हूँ/करती हूँ/करते हैं और घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य तथा सही है और इसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई है।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि इसके पहले मैंने/हमने इस निमित्त कोई भी प्रतिदाय नहीं लिया है।

स्थान

दिनांक

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर (नाम)

पदनाम/हैसियत

अनुबंध-1**विवरण-1 [नियम 89(5)]**

प्रतिदाय का प्रकार : विपरीत कर संरचना के कारण संचित शोध्द आईटीसी [धारा 54 (3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

माल की विपरीत कर दर पर प्रदाय का आवर्त	माल की ऐसी विपरीत कर दर पर भुगतान योग्य कर	समायोजित कुल आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	दावा किये जाने वाली अधिकतम प्रतिदाय की राशि $[(1 \times 4 \div 3) - 2]$
1	2	3	4	5

विवरण-3क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर के भुगतान के बिना निर्यात (संचित आईटीसी) – प्रतिदाय राशि की संगणना

(राशि रूपये में)

शून्य दर पर माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय की राशि $(1 \times 2 \div 3)$
1	2	3	4

विवरण-5क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय का प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाईयों/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को कर के भुगतान के बिना किए जाने वाले प्रदाय के कारण (संचित आईटीसी) – प्रतिदाय राशि की संगणना

(राशि रूपये में)

शून्य दर पर माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय की राशि $(1 \times 2 \div 3)$
1	2	3	4

प्ररूप-जीएसटी-आरएफडी-01 ख

[देखिए नियम 91(2), 92(1), 92(3), 92(4), 92(5) और 97क]

प्रतिदाय आदेश के ब्यौरे

1.	एआरएन			
2.	जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी			
3.	विधिक नाम			
4.	फाइल किए जाने की तिथि			
5.	प्रतिदाय का कारण			
6.	वित्तीय वर्ष			
7.	मास			
8.	आदेश संख्या :			
9.	आदेश को जारी किए जाने की तिथि:			
10.	पेमेंट एडवाइस की संख्या :			
11.	पेमेंट एडवाइस की तिथि:			
12.	जिसको प्रतिदाय जारी किया गया :	ड्राप डाउन :करदाता/उपभोक्ता कल्याण निधि		
13.	के द्वारा जारी :			
14.	टिप्पणी :			
15.	आदेश का प्रकार	ड्राप डाउन :आरएफडी-04/06/07 (भाग क)		
16.	प्रतिदाय राशि के ब्यौरे (मैनुअल रूप से जारी आदेश के अनुसार) :			
विवरण	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
	कर ब्याज शास्ति शुल्क अन्य योग	कर ब्याज शास्ति शुल्क अन्य योग	कर ब्याज शास्ति शुल्क अन्य योग	कर ब्याज शास्ति शुल्क अन्य योग
क. दावा की गई प्रतिदाय राशि				
ख. अनंतिम आधार पर मंजूर किया गया प्रतिदाय				
ग. अतिशेष राशि				

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 22nd November, 2017

No. 128/ST-2.— In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Twelfth Amendment) Rules, 2017.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter called the said rules), in rule 43, after sub-rule (2), the following explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation.— For the purposes of rule 42 and this rule, it is hereby clarified that the aggregate value of exempt supplies shall exclude the value of supply of services specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 42/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 27th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number GSR 1338(E), dated the 27th October, 2017.”

3. In the said rules, in rule 54, in sub-rule (2), for the words “supplier shall issue”, the words “supplier may issue” shall be substituted.
4. In the said rules, after rule 97, the following rule shall be inserted, namely:-

“97A. Manual filing and processing. – Notwithstanding anything contained in this Chapter, in respect of any process or procedure prescribed herein, any reference to electronic filing of an application, intimation, reply, declaration, statement or electronic issuance of a notice, order or certificate on the common portal shall, in respect of that process or procedure, include manual filing of the said application, intimation, reply, declaration, statement or issuance of the said notice, order or certificate in such Forms as appended to these rules.”

5. In the said rules, after rule 107, the following rule shall be inserted, namely:-

“107A. Manual filing and processing. – Notwithstanding anything contained in this Chapter, in respect of any process or procedure prescribed herein, any reference to electronic filing of an application, intimation, reply, declaration, statement or electronic issuance of a notice, order or certificate on the common portal shall, in respect of that process or procedure, include manual filing of the said application, intimation, reply, declaration, statement or issuance of the said notice, order or certificate in such Forms as appended to these rules.”

6. In the said rules, after “**FORM GST RFD-01**”, the following Forms shall be inserted, namely:-

“FORM-GST-RFD-01 A

[See rules 89(1) and 97A]

Application for Refund (Manual)

(Applicable for casual taxable person or non-resident taxable person, tax deductor, tax collector and other registered taxable person)

1.	GSTIN / Temporary ID								
2.	Legal Name								
3.	Trade Name, if any								
4.	Address								
5.	Tax period (if applicable)	From <Year><Month>		To	<Year><Month>				
6.	Amount of Refund Claimed(Rs.)	Act	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total	
		Central tax							
		State / UT tax							
		Integrated tax							
		Cess							
		Total							
7.	Grounds of Refund Claim (select from drop down)	(a)	Excess balance in Electronic Cash Ledger						
		(b)	Exports of services- with payment of tax						
		(c)	Exports of goods / services- without payment of tax (accumulated ITC)						
		(d)	ITC accumulated due to inverted tax structure[under clause (ii) of first proviso to section 54(3)]						
		(e)	On account of supplies made to SEZ unit/ SEZ developer(with payment of tax)						
		(f)	On account of supplies made to SEZ unit/ SEZ developer (without payment of tax)						
		(g)	Recipient of deemed export						

DECLARATION [second proviso to section 54(3)]

I hereby declare that the goods exported are not subject to any export duty. I also declare that I have not availed any drawback on goods or services or both and that I have not claimed refund of the integrated tax paid on supplies in respect of which refund is claimed.

Signature

Name –

Designation / Status

DECLARATION [section 54(3)(ii)]

I hereby declare that the refund of ITC claimed in the application does not include ITC availed on goods or services used for making 'nil' rated or fully exempt supplies.

Signature

Name –

Designation / Status

DECLARATION [rule 89(2)(f)]

I hereby declare that the Special Economic Zone unit /the Special Economic Zone developer has not availed of the input tax credit of the tax paid by the applicant, covered under this refund claim.

Signature

Name –

Designation / Status

SELF- DECLARATION [rule 89(2)(l)]

I/We _____ (Applicant) having GSTIN/ temporary Id _____, solemnly affirm and certify that in respect of the refund amounting to Rs. _____ / with respect to the tax, interest, or any other amount for the period from _____ to _____, claimed in the refund application, the incidence of such tax and interest has not been passed on to any other person.

Signature

Name –

Designation / Status

(This Declaration is not required to be furnished by applicants, who are claiming refund under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54.)

8. Verification

I/We<Taxpayer Name> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

I/We declare that no refund on this account has been received by me/us earlier.

Place

Date

Signature of Authorised Signatory

(Name)

Designation/ Status

Annexure-1*Statement -1 [rule 89(5)]*

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

(Amount in Rs.)

Turnover of inverted rated supply of goods	Tax payable on such inverted rated supply of goods	Adjusted total turnover	Net input tax credit	Maximum refund amount to be claimed [(1×4÷3)-2]
1	2	3	4	5

Statement- 3A [rule 89(4)]

Refund Type: Export without payment of tax (accumulated ITC) – calculation of refund amount

(Amount in Rs.)

Turnover of zero rated supply of goods and services	Net input tax credit	Adjusted total turnover	Refund amount (1×2÷3)
1	2	3	4

Statement-5A [rule 89(4)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit / SEZ developer without payment of tax (accumulated ITC) – calculation of refund amount

(Amount in Rs.)

Turnover of zero rated supply of goods and services	Net input tax credit	Adjusted total turnover	Refund amount (1×2÷3)
1	2	3	4

